कार्यालय नगर पर्षद, आदित्यपुर

परमिट संख्या : 1040 दिनांक : 26.7.12

सेवा में,

Sri. Kamlesh Choudhary
S/o. Sri S.K.Choudhary
Bungalow No- 4, Central Avenue Road
N Town, Bistupur, Jamshedpur

महाशय,

आर० एस० प्लॉट सं० 764 खाता सं० 72 मौजा. Dindli थाना सं० 128 पर भवन निर्माण हेतु आपके द्वारा दिये गये आवेदन के आलोक में Gr.(Parking) + 3rd Floor भवन प्लान की स्वीकृति निम्न शर्त्तों पर दी जाती है:–

1. स्वीकृत भवन प्लान से किसी प्रकार का विचलन भवन निर्माण या इसकी उपयोगिता में मान्य नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में भवन की ऊँचाई/मंजिल की संख्या में वृद्धि नहीं होगी जबतक इसकी विधिवत् स्वीकृति नहीं ली जायेगी।
2. निर्माण की गुणवत्ता झारखण्ड लोक निर्माण विभाग/भारतीय मानक की विशिष्टियों के अनुरूप होगी। निर्माण कार्य एवं संरचना के सही रूपांकरण एवं इसकी सुरक्षा का दायित्व संबंधित अनुज्ञप्तिधारी अभियंता के साथ–साथ निर्माणकर्त्ता पर होगी।
3. भुखण्ड के सामने चाहरदीवारी का निर्माण, लाईटिंग पोल की व्यवस्था, पेवमेंट का निर्माण तथा पेड़ लगाने का कार्य अनिवार्य रूप से भवन उपनियम के अनुसार किया जायेगा।
4. निर्माण कार्य के आरम्भ होने की सूचना नगर पर्षद, आदित्यपुर कार्यालय को देनी होगी तथा प्लींथ/भूमि तल पर कार्य आने के पश्चात् इसकी जाँच (दस दिनों के अन्दर) कराने के बाद ही आगे निर्माण कार्य जारी रखा जायेगा।
5. निर्माणकर्त्ता को समुचित जल आपूर्त्ति की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
6. निर्माणकर्त्ता को निजी ट्रांसफरमर की व्यवस्था करनी होगी। भवन में विद्युत आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ध्वनि एवं प्रदूषण रहित पर्याप्त क्षमता का जेनरेटर लगाना होगा।
7. प्रत्येक तल पर पर्याप्त क्षमता का अग्निशामक यंत्र लगाना होगा। यदि अग्निशमन विभाग द्वारा कभी कोई विशेष निर्देश दिया जाता है तो उसका पालन करना होगा।
8. Rain Water Harvesting के साथ Ground Water Recharging का प्रावधान सुनिश्चित रूप से करना होगा।
9. भवन निर्माण पूर्ण होने पर Completion Certificate के साथ नगर पर्ष,द आदित्यपुर को सूचित करना होगा तथा Occupancy Certificate प्राप्त किये बिना भवन में Occupancy नहीं दी जा सकेगी।
10. आदित्यपुर बिल्डंग बाईलॉज एवं झारखण्ड अपार्टमेंन्ट अधिनियम 2005 के सभी प्रावधानों का पालन करना होगा।
11. निर्माण स्थल पर एक बोर्ड लगाना होगा, जिसपर भूमि मालिक का नाम, निर्माणकर्त्ता का नाम, प्लॉट एवं खाता संख्या, रकबा, स्वीकृत भवन प्लान की परमिट संख्या, कुल स्वीकृत तल एवं कुल स्वीकृत फ्लैट्स आदि का विवरन देना होगा। साथ ही क्रेता को स्वीकृत भवन प्लान की अभिप्रमाणित प्रति उपलब्ध करानी होगी।
12. भवन प्लान की स्वीकृति प्रति प्राप्त करने के पूर्व आवेदक, निर्माणकर्त्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी अभियन्ता को उपरोक्त शर्त्तों के आशय का एक शपथ पत्र देना होगा।
13. विकासकर्त्ता/संवर्धन/स्थलधारी को झारखण्ड आपर्टमेन्ट सम्पत्ति विनियम एवं स्वामित्व अधिनियम 2005 के अनुकूल विहति सुविधायें निर्मित भवन में प्रदान करनी होगी।
14. जमीन संबंधी किसी तरह का विवाद (यथा छोटनानागपुर कास्तकारी अधिनियम, पहुँच पथ वन भूमि, सरकारी भूमि या किसी अन्य व्यक्ति के कागजी तौर पर अधिकार क्षेत्र में) उत्पन्न होने पर स्वीकृत्यादेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
15. भवन पर तड़िक चालक का व्यवस्था करना आवश्यक होगा।

उपरोक्त तथ्यों का अनुपालन नहीं करने पर स्वीकृत्यादेश किसी भी समय रद्द कर दिया जायेगा एवं संबंधित भवन निर्माता पर विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी एवं किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पर्षद, आदित्यपुर
Executive Officer
Municipal Council, Adityapur
26/7/12

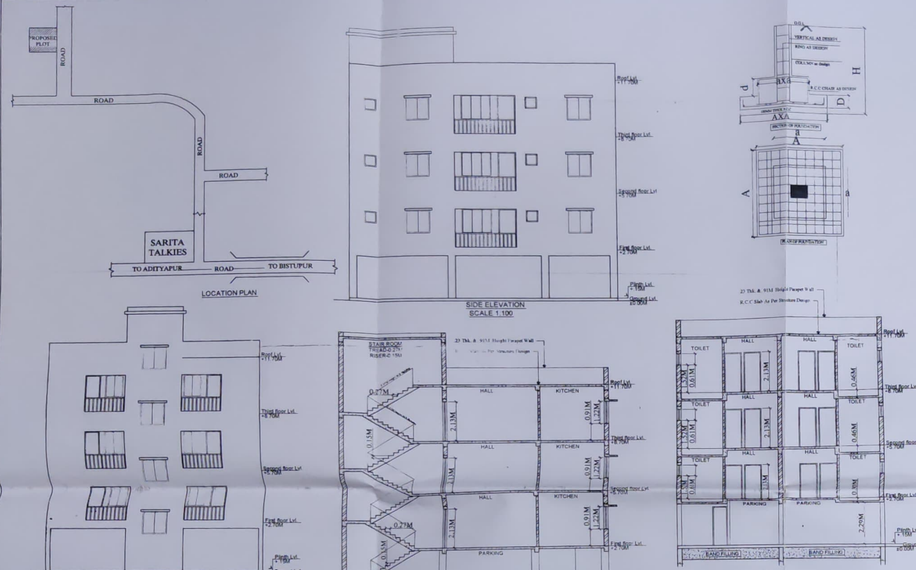

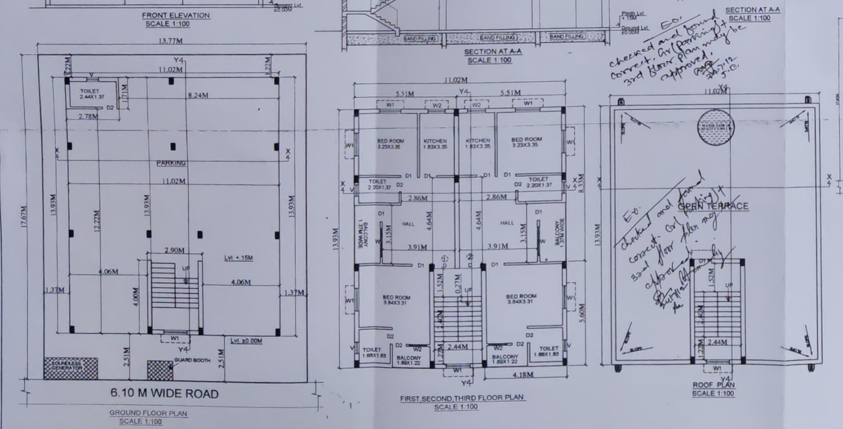

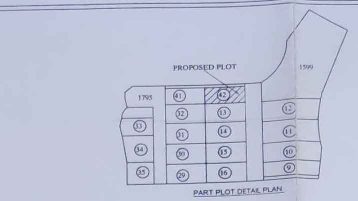

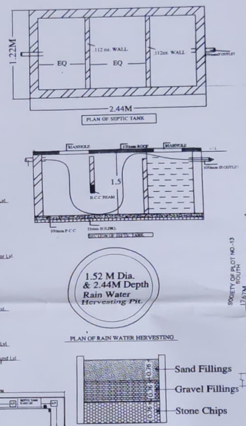

check list

1)GUARD BOOTH	PROVIDED
2)GENERATOR	PROVIDED
3)COMMON TOILET	PROVIDED
4)RAIN WATER	PROVIDED
5)FIRE	NOT REQUIRED
6)SEPTIC TANK	PROVIDED
7)UNDERGROUND W.T	NOT REQUIRED
8)OVERHEAD W.T	PROVIDED
9)LOCATION MAP	PROVIDED
10) AS PER BYE LOW F.A.R	2.0
11)GROUND COVERAGE	70%

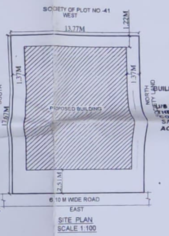

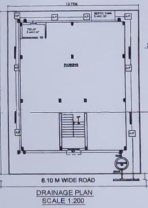

LAND AREA

SL.NO	L	B	AREA
	17.67	13.77	243.31 m²

GROUND COVERAGE AREA

SL.NO	L	B	AREA
	13.93	11.02	153.50 m²

FIRST FLOOR AREA

SL.NO	L	B	AREA
	13.93	11.02	153.50 m²

SECOND FLOOR AREA

SL.NO	L	B	AREA
	13.93	11.02	153.50 m²

THIRD FLOOR AREA

SL.NO	L	B	AREA
	13.93	11.02	153.50 m²

PARKING CALCULATION
TOTAL NUMBER UNIT : 6
AREA OF UNIT 1 : 69.79 Sqm.
AREA OF UNIT 2 : 69.79 Sqm.
ALL UNIT BA AREA ABOVE 50 Sqm.
REQUIRED NUMBER OF CAR PARKING 6CAR =120Sqm.
PROVIDED PARKING AREA IN GROUND FLOOR 137.15 : 6 CAR.

ASSUMING 6 PERSONS PER UNIT
TOTAL NUMBER OF FLAT : 6
TOTAL NUMBER OF PERSONS 18
ASSUME 10% EXTRA = 1.8 PERSONS
SAY 2 PERSON EXTRA
TOTAL : 20 PERSONS

REQUIREMENT OF SEPTIC TANK CAPACITY FOR 20 PERSONS @ 0.085 CUBIC METERS = 1.70 CUBIC METERS
SIZE OF SEPTIC TANK = 2.44M X 1.22M X 1.52M = 4.52 Cum.

WATER SUPPLY CALCULATION
TOTAL NUMBER OF PERSON = 20
REQUIREMENT OF WATER SUPPLY FOR 20 PERSONS @ 135 LITRES PER HEAD / DAY = 20 X 135 = 2700 LITRES/ DAY = 2.70Cum.
PROVIDED =3,000 LITERS (MORE THAN SUFFICIENT

LAND AREA = 243.31 M²

No. of Floors	Area	Cupboard	Balcony	Area	Total	Lift Well	Void	Duct	Fire	Parking	Other	Total Deduction	Net Area for F.A.R	Occupancy or The Purpose	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ground Floor	153.50	X	X	X	153.50	X	X	X	X	137.15	4.75	141.90	11.60	PARKING	COMMON TOILET
1st Floor	153.50	X	X	X	153.50	X	X	X	X	X	X	X	153.50	RESIDENTIAL	
2nd Floor	153.50	X	X	X	153.50	X	X	X	X	X	X	X	153.50	RESIDENTIAL	
3rd Floor	153.50	X	X	X	153.50	X	X	X	X	X	X	X	153.50	RESIDENTIAL	
TOTAL	614.00 m²	X	X	X	614.00 m²	X	X	X	X	137.15 m²	4.75 m²	141.90 m²	472.10 m²		

$$\% \text{ GROUND COVERAGE} = \frac{153.50}{243.31} \times 100 = 63.08\ \%$$

$$\text{F.A.R} = \frac{472.10}{243.31} = 1.94$$

APF

कार्यालय नगर पर्षद, आदित्यपुर

पत्रांक- 1041
दिनांक- 26-7-12

Gr. (Parking) + 3rd Floor भवन प्लान की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर दी जाती है:-

1. स्वीकृत भवन प्लान से किसी प्रकार का विचलन भवन निर्माण या इसकी उपयोगिता में मान्य नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में भवन की ऊँचाई/मंजिल की संख्या में वृद्धि नहीं होगी जबतक इसकी विधिवत् स्वीकृति नहीं ली जायेगी।
2. निर्माण की गुणवत्ता झारखण्ड लोक निर्माण विभाग/भारतीय मानक की विशिष्टियों के अनुरूप होगी। निर्माण कार्य एवं संरचना के सही रूपांकरण एवं इसकी सुरक्षा का दायित्व संबंधित अनुज्ञप्तिधारी अभियंता के साथ-साथ निर्माणकर्त्ता पर होगी।
3. भूखण्ड के सामने चाहरदीवारी का निर्माण, लाईटिंग पोल की व्यवस्था, पेवमेंट का निर्माण तथा पेड़ लगाने का कार्य अनिवार्य रूप से भवन उपनियम के अनुसार किया जायेगा।
4. निर्माण कार्य के आरम्भ होने की सूचना नगर पर्षद, आदित्यपुर कार्यालय को देनी होगी तथा प्लीथ/भूमि तल पर कार्य आने के पश्चात् इसकी जाँच (दस दिनों के अन्दर) कराने के बाद ही आगे निर्माण कार्य जारी रखा जायेगा।
5. निर्माणकर्त्ता को समुचित जल आपूर्ति की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
6. निर्माणकर्त्ता को निजी ट्रांसफरमर की व्यवस्था करनी होगी। भवन में विद्युत आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ध्वनि एवं प्रदूषण रहित पर्याप्त क्षमता का जेनरेटर लगाना होगा।
7. प्रत्येक तल पर पर्याप्त क्षमता का अग्निशामक यंत्र लगाना होगा। यदि अग्निशमन विभाग द्वारा कभी कोई विशेष निर्देश दिया जाता है तो उसका पालन करना होगा।
8. Rain Water Harvesting के साथ Ground Water Recharging का प्रावधान सुनिश्चित रूप से करना होगा।
9. भवन निर्माण पूर्ण होने पर Completion Certificate के साथ नगर पर्षद आदित्यपुर को सूचित करना होगा तथा Occupancy Certificate प्राप्त किये बिना भवन में Occupancy नहीं दी जा सकेगी।
10. आदित्यपुर बिल्डिंग बाईलॉज एवं झारखण्ड अपार्टमेन्ट अधिनियम 2005 के सभी प्रावधानों का पालन करना होगा।
11. निर्माण स्थल पर एक बोर्ड लगाना होगा, जिसपर भूमि मालिक का नाम, निर्माणकर्त्ता का नाम, प्लॉट एवं खाता संख्या, रकबा, स्वीकृत भवन प्लान की परमिट संख्या, कुल स्वीकृत तल एवं कुल स्वीकृत फ्लैट्स आदि का विवरण देना होगा। साथ ही क्रेता को स्वीकृत भवन प्लान की अभिप्रमाणित प्रति उपलब्ध करानी होगी।
12. भवन प्लान की स्वीकृति प्रति प्राप्त करने के पूर्व आवेदक, निर्माणकर्त्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी अभियन्ता को उपरोक्त शर्तों के आशय का एक शपथ पत्र देना होगा।
13. विकासकर्त्ता/संवर्धन/स्वत्वधारी को झारखण्ड आपर्टमेन्ट सम्पत्ति विनियम एवं स्वामित्व अधिनियम 2005 के अनुकूल विहित सुविधायें निर्मित भवन में प्रदान करनी होगी।
14. जमीन संबंधी किसी तरह का विवाद (यथा छोटनागपुर कास्तकारी अधिनियम, पहुँच पथ वन भूमि, सरकारी भूमि या किसी अन्य व्यक्ति के कागजी तौर पर अधिकार क्षेत्र में) उत्पन्न होने पर स्वीकृत्यादेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
15. भवन पर तड़ित चालक का व्यवस्था करना आवश्यक होगा।

BUILDING PERMIT No. 1041 DATE 26-7-12
SANCTIONED
U/S 427 JHARKHAND MUNICIPAL ACT 2011
THE CONSTRUCTION WORK SHOULD BE COMPLETED WITHIN THREE YEARS OF SANCTION. CONSTRUCTION SHOULD BE ACCORDING TO APPROVED PLAN

EXECUTIVE OFFICER
A.M.C.

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पर्षद, आदित्यपुर
26/7/12

SPECIFICATION

SL NO	NAME	DETAILS
1)	FOUNDATION	R.C.C COLUMN FOOTING/RAFT AS PER DESIGN
2)	SUPER STRUCTURE	FIRST CLASS B/W IN C.M(1:6) FOR 225mm & C.M(1:4) FOR 112.5 MM
3)	FLOORING	0.025 mt I.P.S FLOORING OVER 0.015mt DRY REAMED KHOA OVER 0.075mt B/B SOLING OVER LOCAL SAND FILLING
4)	LINTEL	150mm R.C.C LINTEL PROVIDED OVER DOOR & WINDOWS
5)	ROOF	R.C.C. ROOF SLAB WITH REQUIRED THICKNESS AS PER STRUCTURAL DESIGN
6)	TERRACE	PROVIDE 254mm MUD FUSCA TREATMENT WITH BRICK ON EDGE SOLING OVER LOCAL SAND FILLING FINISHED WITH P.C.C OVER R.C.C TERRACE ROOF FOR HEAT INSULATION & WATER PROOFING
7)	PLASTER	INNER & OUTER WALL PLASTERED IN C.M(1:6) & (1:4) & TWO COATS OF WHITE WASH OUT SIDE ONLY

SCHEDULE OF DOOR & WINDOW

TYPE	WIDTH	HT	SILL	DESCRIPTION
D	1.07	2.1	0	WOODEN FLUSH DOOR
D1	0.91	2.1	0	WOODEN FLUSH DOOR
D2	0.75	2.1	0	WOODEN FLUSH DOOR
W	1.5	2.1	0.9	GLAZED WINDOW
W1	1.22	2.1	0.9	GLAZED WINDOW
W2	0.91	2.1	0.9	GLAZED WINDOW
V	0.6	2.1	1.5	GLAZED VENTILATOR

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING PLAN

NAME	SIGNATURE
SMT. DEOKALA DEVI W/O :-SRI KAMLESH CHOUDHARY	देवकला देवी

PLOT NO :- 1599(NEW), 1478(OLD)
KHATA NO - 72(NEW), 79(OLD)
THANA NO -128 MOUJA:-DINDLI
WARD NO -5 ADITYAPUR N.A.C
P.S. :-ADITYAPUR
SUB-REGISTRYOFFICE SERAIKELLA
DIST :- SINGHBHUM (W)

NOTE:-
ALL DIMENSIONS ARE IN MT.

ANOOP KUMAR
B. E. (CIVIL) AMIE
AMC - E / 01
PLANNER

TITLE:-
GROUND FLOOR PLAN
TYPICAL FLOOR PLAN
SITE PLAN
LOCATION MAP
F.A.R CALCULATION
GROUND COVERAGE
RAIN WATER HARVESTING
TERRACE PLAN
DRAINAGE PLAN

SH NO-1/1